# फर्द अहकाम

(नियम 26)

## अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

सजना पत्नि दुर्गालाल रेगर नि. जीतापुरा

बनाम

रामप्रसाद पिता जगन्नाथ रेगर नि. अम्बेडकर कॉलोनी उॅचा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 113 / 2020

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म तामील में जारी हुवे |
|---|---|---|
| 24.02.21 | प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाशक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम अम्बेडकर कॉलोनी पटवार हल्का उॅचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 158 कुल किता 01 रकबा 01.04 बीघा स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का भापथ पत्र संलग्न है।<br>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाशक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलगन नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की हैं, पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है।<br>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम अम्बेडकर कॉलोनी पटवार हल्का उॅचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 158 कुल किता 01 रकबा 01.04 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेंख निरीक्षक अमरवासी को कमि नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोश में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।<br>आदेश आज दिनांक 24.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**उपखण्ड अधिकारी,**<br>**जहाजपुर(भीलवाडा)** | |